भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 721
दिनांक 05.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमेरिका में भारतीय वाहन चालकों के रोजगार पर खतरा

721. श्री नीरज डांगी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए वीज़ा या परिवहन संबंधी सुरक्षा नियमों के कारण भारतीय वाहन चालकों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने वाहन चालकों के रोजगार की सुरक्षा के लिए इस विषय पर अमेरिकी प्रशासन के साथ कोई औपचारिक बातचीत की है या कोई राजनयिक हस्तक्षेप किया है;

(ग) वर्तमान में अमेरिका में ट्रक या भारी वाहन चालकों के रूप में कार्यरत भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है और पिछले पांच वर्षों में उनकी संख्या में क्या परिवर्तन हुए हैं; और

(घ) भारतीय चालकों के रोजगार संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से घ) संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक या भारी वाहन चालक के तौर पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 29 सितंबर 2025 को, संयुक्त राज्य अमेरिका परिवहन विभाग (डीओटी) ने एक आपातकालीन अंतरिम फाइनल नियम जारी किया था जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका गैर-निवासी वाणिज्यिक चालक लाइसेंस (सीडीएल) और वाणिज्यिक शिक्षार्थी परमिट (सीएलपी) जारी करने और उनकी निगरानी करने के तरीके बदल गए हैं। यह नियम उस राष्ट्रव्यापी ऑडिट के बाद आया है जिसमें बड़े पैमाने पर नियमों का पालन न करना, कमज़ोर निगरानी और अमान्य या समाप्त हो चुके सीडीएल वाले ड्राइवरों की वजह से कई घातक दुर्घटनाओं का पता चला था। जबकि डीओटी आपातकालीन नियम का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना था, नवंबर 2025 में राष्ट्रव्यापी न्यायालय ने रोक लगा दी, जिससे कानूनी चुनौतियों के चलते कुछ सख्त पाबंदियों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई। रोक के बावजूद, कई राज्यों ने सख्त जांच करना शुरू कर दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी नागरिकों को वीज़ा जारी करने और रोज़गार देने से संबंधित विनियम संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय समुदाय का कल्याण, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मिशन/केंद्र 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन, वॉक-इन, ईमेल, सोशल मीडिया और मदद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और संकटग्रस्त कॉल्स को प्राथमिकता के आधार पर कोंसली सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग संकट में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए किया जाता है।

मंत्रालय दोनों देशों के दीर्धकालिक हित के लिए लोगों के बीच आपसी संबंधों और कुशल लोगों की आवाजाही के महत्व को रेखांकित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क करता रहता है।

*****